"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2005—भाद्र 15, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक-बी-1/12/2005/एक/4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 21 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित टिप्पणी अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

टिप्पणी — अर्हता सेवा संगणना की रीति — संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य निम्नतर उस ग्रेड/वेतनमान में नियुक्त किया गया है जिसमें से ठीक उच्चतर ग्रेड/वेतनमान में क्रमोन्नत किया जाना है, और निम्नतर ग्रेड/वेतनमान में आने की वास्तविक तारीख से नहीं ।"

2. नियम 21—क के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"21—क राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, आदि :—

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने सेवा के सदस्य के रूप में उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें चयन किया जाना हो, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा जो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।

टिप्पणी — अर्हता सेवा संगणना की रीति — संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को

अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं ।"

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों की, सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

(3) चयन "वरिष्ठता–सह–योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

3. नियम 21–ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"21–ख राज्य प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, आदि :–

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने सेवा के सदस्य के रूप में उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें चयन किया जाना हो, 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा जो प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।

टिप्पणी – अर्हता सेवा संगणना की रीति – संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं ।"

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों की, सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

(3) चयन "वरिष्ठता–सह–योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

4. नियम 21–ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"21–ग राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिसमय श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, आदि :–

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी सेवा की अधिसमय श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने सेवा के सदस्य के रूप में उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें चयन किया जाना हो, 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या 54 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, दोनों में से जो भी पहले हो, तथा जो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।

परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप यदि कोई अपेक्षाकृत कनिष्ठ व्यक्ति इस वेतनमान में क्रमोन्नति के लिये अर्ह हो जाता है और उससे कोई वरिष्ठ व्यक्ति इनमें से प्रथम दो शर्तो में से किसी की भी पूर्ति नहीं करता हो, तो भी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को भी अर्ह माना जाकर उसके नाम पर भी विचार किया जायेगा, बशर्ते ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में कार्यरत हो ।

टिप्पणी :– <u>अर्हता सेवा संगणना की रीति</u> – संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं ।"

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों की, सेवा की अधिसमय श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

(3) चयन "वरिष्ठता–सह–योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

5. अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :–

अनुसूची–एक 5
(नियम–5 देखिये)
(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	सेवा के लिये स्वीकृत वेतनमान के प्रवर्गो का विवरण	वेतनमान	प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग	(1) कनिष्ठ वेतनमान	रू. 8000–275–13500	120	वर्ग–दो
	(2) वरिष्ठ वेतनमान	रू. 10000–325–15200	62	वर्ग–एक
	(3) प्रवर श्रेणी वेतनमान	रू. 12000–375–16500	45	वर्ग–एक
	(4) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	रू. 14300–400–18300	15	वर्ग–एक
	(5) अधिसमय वेतनमान	रू. 16400–450–20000	08	वर्ग–एक

6. अनुसूची–दो–क के खाना–(2) में अंक 800 के स्थान पर 250 स्थापित किया जाए,

7. अनुसूची–दो–ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :–

विभाग का नाम	राज्य प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतनमान का नाम तथा वेतनमान जिससे नियुक्ति (कमोन्नति) दी जाना है	वेतनमान का नाम तथा वेतनमान जिस पर नियुक्ति (कमोन्नति) दी जाना है	वर्ष की एक जनवरी को उच्चत्तर वेतनमान के लिये आवश्यक अर्हक सेवा का अनुभव	नियत प्रतिशत तथा अधिकतम पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग	250	कनिष्ठ वेतनमान (8000–275–13500)	वरिष्ठ वेतनमान (10000–325–15200)	नियम–21 अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत पदों का कुल 25 प्रतिशत अर्थात् 62

		वरिष्ठ वेतनमान (10000–325–15200)	प्रवर श्रेणी वेतनमान (12000–375–16500)	नियम–21–क अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत पदों का कुल 18 प्रतिशत अर्थात् 45
		प्रवर श्रेणी वेतनमान (12000–375–16500)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (14300–400–18300)	नियम–21–ख अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत पदों का कुल 6 प्रतिशत अर्थात् 15
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (14300–400–18300)	अधिसमय वेतनमान श्रेणी (16400–450–20000)	नियम–21–ग अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत पदों का कुल 3 प्रतिशत अर्थात् 8

टीप – कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रवर, वरिष्ठ प्रवर एवं अधिसमय वेतनमान श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची–चार
(देखिये नियम–14, 15, 21, 21–क, 21–ख एवं 21–ग)

8. अनुसूची–4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :–

विभाग का नाम	सेवा या पद या वेतनमान का नाम जिससे पदोन्नति/नियुक्ति की जाएगी	पात्रता की शर्तें	सेवा वेतनमान जिस पर पदोन्नति/नियुक्ति की जाएगी	चयन समिति के सदस्यों का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सामान्य प्रशासन विभाग	1. अधीनस्थ कार्यपालक सेवा (तहसीलदार तथा भू–अभिलेख, अधीक्षक) तथा आयुक्त/कलेक्टर कार्यालयों के अधीक्षक	नियम–15 के अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 3. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष सदस्य सदस्य

				शासन, राजस्व विभाग 4. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 5. मुख्य सचिव द्वारा नामांकित सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ अधिकारी जो उप सचिव से निम्न श्रेणी का न हो । टिप्पणी :— समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते है, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य समिति में सम्मिलित किया जाएगा और समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी ।	 सदस्य सदस्य सचिव
तदैव	2. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान	नियम—21 अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतनमान	1. अपर मुख्य सचिव 2. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 3. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 4. मुख्य सचिव द्वारा नामांकित सामान्य	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सचिव

				प्रशासन विभाग में पदस्थ अधिकारी जो उप सचिव से निम्न श्रेणी का न हो । टिप्पणी :– समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते है. तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य समिति में सम्मिलित किया जाएगा और समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी ।	
तदैव	3. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतनमान	नियम–21–क अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, प्रवर श्रेणी	तदैव	तदैव
तदैव	4. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम–21–ख अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	तदैव	तदैव
तदैव	5. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम–21–ग अनुसार	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, अधिसमय श्रेणी वेतनमान	तदैव	तदैव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

क्रमांक-बी-1/12/2005/एक/4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-9-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 6th September 2005

NOTIFICATION

No. B-1/12/2005/1/4 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh State Administrative Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1975 namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, --

1. Before the first proviso of clause (b) of the sub-rule (1) of rule 21 the following note shall be inserted namely :-

NOTE - Method of computation for qualifying service - Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/ Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the member of State Administrative Service has joined the feeding cadre/ pay scale of the post in which higher grade/pay scale, but not be counted from real date to coming in lower grade/ pay scale.

2. For rule 21-A the following rule shall be substituted, namely:-

"21-A The condition of qualification for appointment in selection grade of State Administration Service, etc:-

(1) Only such officer of State Administration Service shall be eligible for consideration in appointment of selection grade who has completed the 10 years service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in the senior grade pay scale.

NOTE - Method of computation for qualifying service - The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Selection committee is called for meeting is done from the calendar when the member of State

Administrative service appointed in the junior grade pay scale and not from the real date of appointment in junior pay scale.

(2) For selection in appointment in selection grade of service of eligible officers of State Administrative service shall be considered by a committee consisting mentioned member in schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority -cum-merit".

3. For 21-B the following rule shall be substituted, namely:-

"21-B The condition of qualification for appointment in Senior Selection grade of State Administration Service, etc:-

(1) Only such officer of State Administrative Service shall be eligible for consideration appointment in senior selection scale who has completed the 16 year's service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in the selection grade pay scale.

NOTE - Method of computation for qualifying service - The calculation of the period of qualifying service of the 1st January in which the Departmental Selection committee is called for meeting is carried out from the calendar year when the member of State Administrative service appointed in the junior grade of pay scale and not from the actual date of appointment in the junior grade pay scale."

(2) For selection appointment in Senior Selection grade of service of eligible officers of State Administrative Service shall be considered by a committee consisting mentioned member in schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority -cum-merit".

4. After rule 21-B the following rule shall be added namely:-

"21-C Condition of eligibility for appointment in Super-time scale of State Administrative Service, etc:-

(1) Only such officer of the State Administrative service shall be eligible for consideration to appointment in super-time scale who has completed the 25 year's service on the 1st January of the year in which selection is made or completed 54 year's of age or whichever is earlier of both and working in senior selection grade pay scale.

Provided that as a result of the above provision any relationally junior person becomes eligible for kramonnatee pay scale and any senior person has not fulfilled any condition out of first two conditions, the senior officer shall be deemed eligible and considered, but such senior person should be working in senior selection grade.

NOTE - Method of computation for qualifying service - The calculation of the period of qualifying service as on the 1st January in which the Departmental Selection committee is called for meeting is computed from the calendar year when the member of State Administrative services appointed in the junior grade pay scale and not from the real date of appointment in the junior grade pay scale."

(2) For the selection appointment in super-time scale of service of eligible officers of State Administrative Service shall be considered by a committee consisting mentioned member in schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority -cum-merit".

5. In place of schedule-I following schedule shall be substituted, namely:-

Schedule-I
(see rule-5)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of Department	Description of categories of pay Scales sanctioned for the service	Pay scale	Number of permanent posts sanctioned in each pay scale	Classification
General Administration Department	(1) Junior pay scale	Rs.8000-275-13500	120	Class-II
	(2) Senior pay scale	Rs.10000-325-15200	62	Class -I
	(3) Selection Grade pay scale	Rs.12000-375-16500	45	Class -I
	(4) senior Selection Grade pay scale	Rs.14300-400-18300	15	Class -I
	(5) Super-time pay scale	Rs.16400-450-20000	08	Class -I

6. For figure 800 of columns of columns (2) of schedule- Two-A, 250 shall be substituted

7. In place of schedule-II -B following schedule shall be substituted, namely:-

Name of Department	Total number of posts sanctioned in State Administration Service	The name of pay scale and pay scale from which appointment (Kramonittee) is to be given	The name of pay scale and pay scale to which appointment (Kramonittee) is to be given	The requisite minimum qualifying service experience on 1st January of the year for Higher Scale	Fixed percentage and maximum number of post
General Administration Department	250	Junior pay scale (Rs.8000-275-13500)	Senior pay scale (Rs.10000-325-15200)	As per rule-21	25% of total sanctioned post in cadre i.e. 62 post
		Senior pay scale (Rs.10000-325-15200)	Selection Grade pay scale (Rs.12000-375-16500)	As per rule-21-A	18% of total sanctioned post in cadre i.e. 45 post
		Selection Grade pay scale (Rs.12000-375-16500)	senior Selection Grade pay scale (Rs.14300-400-18300)	As per rule-21-B	6% of total sanctioned post in cadre i.e. 15 post
		senior Selection Grade pay scale (Rs.14300-400-18300)	Super-time pay scale (Rs.16400-450-20000)	As per rule-21-C	3% of total sanctioned post in cadre i.e. 8 post

Note-- The total Number. of officers working in Junior, Senior, Selection grade, Senior Selection grade and Super-time pay scale shall not be exceed the total post sanctioned in the cadre.

Schedule-I
(see rule-14, 15, 21, 21-A, 21-B & 21-C)

8. In place of schedule-Four, following schedule shall be substituted, namely:-

Name of Department	The name of the service or	Conditions of	The name of service / pay	Name of members of	

	post or pay scale from which promotion/ appointment is to be given	eligibility	scale to which promotion/ appointment is to be given	selection Committee	
General Administration Department	Junior Administrative service (Tahsildars and Superintendents of land records) and Superintendent of Commissioner (Collector) Office	As per rule- 15	Junior pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	1. Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or a member of the Commission nominated by him	Chairman
				2. Additional Chief Secretary to Government of Chhattisgarh	Member
				3. Additional Chief Secretary, or Principal Secretary or Secretary to Government of Chhattisgarh, Revenue Department	Member
				4. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary to Government of Chhattisgarh, General Administration Department	Member
				5. Nominated by Chief Secretary who is posted in General Administration Department	Member Secretary

				not below the rank of Deputy Secretary **Note:** If the nominated member other than the member presiding the Committee in respect do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribe then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes Category of the same status shall be included in the Committee and the number of the members of the Committee shall be extended up to that limits	
- do-	Junior pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule- 21	Senior pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	1. Additional Chief 2. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary to Government of Chhattisgarh, General Administration Department 3. Additional Chief	Chairman Member Member

				Secretary or Principal Secretary or Secretary to Government of Chhattisgarh, Revenue Department	
				4. Nominated by Chief Secretary who is posted in General Administration Department not below the rank of Deputy Secretary	Member Secretary
				Note: If the nominated members other than the member presiding the Committee in respect do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribe then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes Category of the same status shall be included in the Committee and the number of the members of the Committee shall be extended up to that limits	

- do-	Senior pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule- 21-A	Selection grade pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	-do-	-do-
- do-	Selection grade pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule- 21-B	Senior Selection pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	-do-	-do-
- do-	Senior Selection pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	As per rule- 21-C	Super-time pay scale of Chhattisgarh State Administrative Service	-do-	-do-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
PANKAJ DWIVEDI, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.